IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

परिवार पहचान पत्रः हरियाणा में भ्रष्टाचार उन्मूलन का अचूक फॉर्मूलाः–

गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला मनोहर सरकार का सबसे ठोस कदमः डॉ. सतीश खोला Ph. D.

पृष्ठभूमिः

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, सेवाओं और लाभों की ' पेपरलेस' और 'फेसलेस' उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में PPP यानि परिवार पहचान पत्र योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई/यूनिट माना गया है तथा उन्हें 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, जिसे पारिवारिक ID कहा गया है। जिसमें नाम, पता, परिवार का मुखिया, रिश्ते वाले सदस्य, उनका पता, जाति, लिंग, सभी की आय, भूमि और संपत्ति का विवरण, व्यवसाय, योग्यता, पेशा, उच्चतम योग्यता आदि अंकित होता है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके विषय में भी जानकारी का उल्लेख होता है।

परिवार पहचान पत्र के क्रियान्वयन की रणनीति

डेटा संग्रहणः– परिवार पहचान पत्र के क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले डाटा जुटाने का काम किया गया। इसके लिए सबसे पहले स्वयं सहमति से लोगों द्वारा पंजीकृत किए गए पीपीपी के डाटा एकत्रित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, कोविड 19 लॉकडाउन योजना का लाभ उठाने वालों के डाटा लिए गए। इसके अलावा सीएससी, स्थानीय संचालक, स्कूल, उचित मूल्य की दुकान से डाटा कलेक्शन का कार्य हुआ।

डेटा सत्यापन–ः डाटा एकत्रित होने के बाद इनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई और इसके लिए पहले से ही मौजूदा डेटाबेस के माध्यम से सत्यापन करने के साथ–साथ पारिवारिक संरचना, जन्म तिथि, दिव्यांग, व्यवसाय, आय, भूमि और संपत्ति की सही जानकारी लोगों तक पहुंचकर जुटाई गई।

भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) में जाति, दिव्यांग, व्यवसाय, पारिवारिक संरचना, आय आदि शामिल है।

इन सेवाओं ने डेटा संवर्धन का नेतृत्व कियाः–

1.) कल्याण की सेवाओं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन

2.) नागरिक पंजीकरण प्रणाली में जन्म और मृत्यु, विवाह पंजीकरण, अंत्योदय सरल

3.) राज्य डेटाबेस में एमएफएमबी, बिजली कनेक्शन, स्वामित्व, शहरी संपत्ति, राजस्व रिकॉर्ड आदि भी शामिल किए गए हैं।

पारिवारिक जानकारी डेटा रिपॉजिटरी सत्यापनः-

विभिन्न माध्यमों से डाटा जुटाने और उनके शुरुआती सत्यापन के बाद अन्तिम सत्यापन की प्रक्रिया भी सरकारी स्तर पर तीन प्रकार से किया।

1) **इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन** इसमें मौजूदा सेवाओं को शामिल करना, स्थिरता के लिए डेटाबेस को एकत्रित करना और फिर मानकीकरण करना शामिल है।

2) **स्रोत आधारित सत्यापन** संबंधित डेटा क्षेत्र के संरक्षक के माध्यम से सत्यापन किया। इसमें सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, संगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक, किसान शामिल है।

3) **भौतिक सत्यापन** इसमें संबंधित सरकारी एजेन्सी द्वारा ऑन-ग्राउंड सत्यापन, स्थानीय समितियाँ और क्षेत्र समितियाँ द्वारा विभाग के पदाधिकारी जैसे श्रम निरीक्षक, ग्राम सचिव, पटवारी, कानूनगो, कृषि विभाग अधिकारी द्वारा मौके पर सत्यापन करना शामिल है। **संदर्भ** 1

परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR)

-परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) लोगों के लिए लाभ, सब्सिडी या सेवा वितरण के लिए सच्चाई का एकल स्रोत है। दो प्रकार से होता है।

1. नागरिक प्रेरितः-

उपयोग किया गया डेटा सीधे नागरिकों द्वारा प्रदान किया जाता है। वे इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं और इस डेटा को चुनौती भी दे सकते हैं। उपलब्ध डाटा सही है, इसका सत्यापन भी नागरिक ही करते हैं। लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहे, इसके लिए वातावरण बनाने में नागरिकों की भूमिका होती है।

2. सेवा प्रेरित:-

पहले से चली आ रही सेवाओं की मदद से डाटा में लगातार अपडेशन किया जाता है और मुख्य डाटाबेस के जरिए डाटा में डायनामिक अपडेशन भी किया जाता है। यानि सेवाओं से उपलब्ध डाटा और नागरिकों के द्वारा दिए गए डाटा का मिलान करके असल डाटा को खोजने में मदद मिलती है। डाटा की सत्यता जांची जाती है।

संदर्भ 2

जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र

पीपीपी के डाटा एकत्रित करने से लेकर उसके बनने और उसके द्वारा नागरिकों तक लाभ पहुंचाने में जिला स्तर भी सरकारी तंत्र मौजूद है तथा सामाजिक संस्थाओं की भी भागीदारी होती है।

सरकारी तंत्र

जैसे 'जिला नागरिक संसाधन अधिकारी' अतिरिक्त उपायुक्तों को डीसीआरआईओ के रूप में नामित किया गया है। डीसीआरआईओ संबंधित जिलों में पीपीपी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

स्थानीय समितियाँ

ये 250-300 घरों को कवर करती हैं। इनमें टीम लीडर, स्थानीय संचालक, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और स्वयंसेवक शामिल है। 10-15 स्थानीय समितियों के लिए सेक्टर समितियाँ बनाई गई है।

राज्य विभाग भी शामिल संबंधित अभिरक्षक विभाग के जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तरीय कार्यालयों के माध्यम से फील्ड का सत्यापन, प्रो-एक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए प्रोसेस री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। **संदर्भ** 3

डेटा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप

अ) एआई आधारित भविष्यवाणी के लिए डेटा त्रिभुज

1.) पहचान किए गए डेटाबेस में पीपीपी सीडिंग, एल्गोरिदम आधारित आय अनुमान, मूल्यों की भविष्यवाणी करना।

2.) प्रौद्योगिकी आधारित दस्तावेज़ सत्यापन' जिसमें सहायक दस्तावेजों का ओसीआर आधारित सत्यापन करना तथा आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी के प्रकार के आधार पर प्रशिक्षित मॉडल बनाना।

ब) शिकायत निवारण शिकायत निवारण के लिए डीसीआरआईओ, विकास के तहत आम मुद्दों के समाधान के लिए हरियाणवी बोली में चैटबॉट सुविधा देना। इस तथ्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरियाणा में अपनी बोली का अपना अलग ही अंदाज है। इसलिए हिंदी के साथ -साथ स्थानीय बोली में ही चैटबाट उपलब्ध कराई गई है ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और उसकी समस्या का समाधान सही से समझकर किया जा सके। **संदर्भ 4**

कानूनी ढांचा

-परिवार पहचान पत्र में क़ानूनी फ़्रेम्वर्क भी है। जैसे :-

1) नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) - जनवरी 2020; अप्रैल, 2020 में अधिसूचित।

2) नागरिक संसाधन सूचना डिपॉजिटरी के लिए प्राधिकरण - नवंबर 2021 में एक कार्यकारी निकाय के रूप में अधिसूचित।

3) हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 -सितंबर 2021 में अधिसूचित।

4) हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण' अक्टूबर 2021 में अधिसूचित है।

इससे गलत और गैर संवैधानिक कृत्यों को रोकने में मदद मिलती है। सुविधा से वंचित कर दिए गया नागरिक इसके माध्यम से न्याय पा सकता है, जबकि गलत और भ्रामक तथ्य पेश करने व गलत तरीके से सुविधा लेने वाले नागरिक के खिलाफ इनके माध्यम से कारवाई की जाती है। **संदर्भ 5**

प्रमुख परिणाम

-प्रो-एक्टिव सर्विस डिलीवरी- वृद्धावस्था सम्मान नागरिक द्वारा कोई आवेदन आवश्यक नहीं है, पीपीपी के माध्यम से सक्रिय रूप से लाभार्थियों की पहचान की गई है ।

-अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र- ओवर द काउंटर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तैयार है ।

-बीसी प्रमाण पत्र- ओवर द काउंटर बीसी सर्टिफिकेट तैयार है। पीपीपी के माध्यम से आय और जाति सत्यापन भी किया गया है।

-टी-पीडीएस- पीपीपी डेटा के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की गई है, दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया।

-सक्रिय मोड पर अन्य सेवाएं भी दी गई जैसे- आयुष्मान भारत, विवाह संबंधी सेवाएं जैसे - विवाह शगुन योजना और कन्यादान योजना शामिल है। **संदर्भ 6**

परिवार पहचान पत्र के फ़ायदे

- सक्रिय सेवा वितरण '**कभी भी-कहीं भी**'।

-सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संपर्क बना।

-दस्तावेज़ीकरण का बोझ कम हुआ।

-परिवारों के अधिकारों का पता लगा।

-विभिन्न योजना लाभों का डी-डुप्लीकेशन और अपात्र लाभार्थियों की छंटाई हुई।

-सामान्य, एकीकृत, निरंतर अद्यतन गतिशील डेटाबेस तैयार हुआ।

-स्मार्ट कार्ड बना और यह सारी प्रक्रिया इन-हाउस ही विकसित और क्यूरेट की गई जिससे लगभग 2.79 करोड़ लोग पंजीकृत हुए तथा 2.49 करोड़ लोगों ने अपने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करने की सहमती जताई।

-इससे सेवा में आसानी हुई, पारदर्शिता बढ़ी, सेवाओं में रियल टाइम पता लगा तथा नागरिक और सरकार के बीच कॉनेक्टिविटी बढ़ी। **संदर्भ** 7

इन महत्वपूर्ण परिणामों से भी बदली व्यवस्था और आई पारदर्शिता:-

कुशल कल्याण सेवा वितरण

- 3.63 लाख+ प्रोएक्टिव एससी प्रमाणपत्र जारी हुए।

-2.34 लाख + सक्रिय आय प्रमाण पत्र जारी हुए।

-1.86 लाख + सक्रिय बीसी प्रमाण पत्र जारी हुए।

-वृद्धावस्था पेंशन में 25,000 +नए लाभार्थी जोड़े गए।

-9.60 लाख अपात्र परिवार पीडीएस से बाहर हुए।

-12.46 लाख नए परिवारों को पीडीएस में जोड़ा गया।

- 14 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना (चिरायु) के तहत अतिरिक्त परिवार नामांकित हुए।

-15,000+ विद्यार्थी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए एकीकृत हुए।

-10+ लाख किसान भूअभिलेख से जुडी उपज की खरीद और सीधे खातों में भुगतान के लिए जुड़े।

- 34 लाख+परिवारों की FIDR में जाति सत्यापित हुई । **संदर्भ** 8

सुधार की आवश्यकता

निश्चित ही पीपीपी के माध्यम से प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और लोगों को घर बैठे आनलाइन सुविधाएं मिल रही है। समानता से कार्य और गरीबों का कल्याण हो रहा है। पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं जिनमें तुरंत सुधार की आवश्यकता है।

क्योंकि भले ही इस योजना के तहत नामांकन कराना स्वैच्छिक है, लेकिन यदि कोई नागरिक अथवा परिवार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही किसी सेवा का लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिये परिवार पहचान-पत्र की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की शर्त योजना में नामांकन कराने अथवा न कराने के संदर्भ में राज्य के निवासियों को न के बराबर विकल्प प्रदान करती है। इसलिए नागरिक के लिए पीपीपी कानूनी रूप से अनिवार्यता नहीं होने से समस्याएं आने की सम्भावना बनी रहेगी।

डेटा के दुरुपयोग की संभावना रोकने की ठोस रणनीति हों

भारत में गोपनीयता कानूनों की अनुपस्थिति या PPP को तैयार करने हेतु जिन मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जा रहा है, उनमें डेटा सुरक्षा से संबंधित निर्देशों की अनुपस्थिति के चलते इस समग्र प्रक्रिया में एकत्रित डेटा के दुरुपयोग की संभावनाएँ प्रबल हो जाती हैं। इसलिए पीपीपी से उपलब्ध डाटा के दुरुपयोग की संभावना को समाप्त करने के लिए भी ठोस रणनीति होनी चाहिए।

इसके अलावा इस योजना के लिये जितनी अधिक मात्रा में जानकारी/डेटा की मांग की जा रही है, वह एक विशेष सेवा की उपलब्धता हेतु आवश्यक डेटा से अधिक है।

पीपीपी बनाम आधार

- आधार एक व्यक्ति को इकाई को रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि PPP एक परिवार को प्रस्तुत करता है। यहाँ PPP आधार से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकारों द्वारा चलाई जा रही अधिकाँश योजनाएँ परिवारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं, न कि व्यक्ति को ध्यान में रखकर।

समस्या को इस उदाहरण से समझा जा सकता है।

जैसे राशन कार्ड एक परिवार हेतु उपलब्ध होता है लेकिन परिवार विभिन्न सदस्यों (18 वर्ष से अधिक आयु होने पर) में विभाजित हो सकता है और यह कहा जा सकता है कि वे अलग हैं तथा सभी व्यक्तियों के अधिकार भी अलग-अलग हैं। **संदर्भ 9**

पीपीपी को प्रभावशाली बनाने की योजना

- PPP को धोखाधड़ी वाले लेन-देन पर रोक लगाने और स्वामित्व को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भूमि और संपत्तियों के सरकारी डेटाबेस रिकार्ड्स से भी जोड़ा जा सकता है।

-इसके अलावा योजना और इसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये सरकार एक सामूहिक अभियान शुरू कर सकती है।

-सरकार को परिवार पहचान-पत्र (PPP) योजना के तहत एकत्र किये जा रहे डेटा की सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु भी उपाय करने चाहिये। **संदर्भ 10**

निष्कर्ष: पीपीपी पर अब तक किए गये कार्यों और कार्यों को करते समय सामने आने वाले अनुभवों के आधार पर यह तो सच है कि पीपीपी के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी योजनाओं में पारदर्शिता, अन्त्योदय की भावना से गरीब कल्याण करने और सामाजिक सुरक्षा देने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी इस मामले में और दूर तक जाने की गुंजाइश है। उम्मीद यहीं है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया पीपीपी मॉडल व्यवस्था परिवर्तन का सबसे कारगर मॉडल बनेगा।

संदर्भ 1:- CRID विभाग website
संदर्भ 2:- CRID विभाग website
संदर्भ 3:- ज़िला प्रसाशन
संदर्भ 4:- CRID पोर्टल
संदर्भ 5:- CRID विभाग website पोर्टल
संदर्भ 6:- CSC सेंटर, नागरिकों से जानकारी
संदर्भ 7:- Reference to some Newspapers
संदर्भ 8:- Reference to CRID Department
संदर्भ 9:- Reference to National Newspaper Articles
संदर्भ 10:- Information from Govt. Officials